न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 73 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

मेताबसिंह पुत्र सोहनसिंह वगै. बनाम नखतदान पुत्र अचलदान वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 05.04.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से प्रार्थीगण / अपीलांट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये जब प्रार्थीगण अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2019 को संज्ञान हुआ कि उक्त पत्रावली में कोई प्रभावी कार्यवाही हुई है तब अपीलांटस अपने अधिवक्ता से मिले तब अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त आदेश की नकल दिनांक 22.10.2020 को मांगी जो नकल दिनांक 26.10.2020 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में बताया कि अपीलांटगण ने हस्तगत अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय व तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन विधि विरूद्ध पेश किया है क्योंकि प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ 01 वर्ष बाद बिना कारणों का स्पष्टीकरण नहीं करते हुए अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की बहस सुनने के पश्चात उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसका भली भांति अपीलांटगण मय वकील को ज्ञान होते हुए भी तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपील को ज्ञान की तिथि से अन्दरम्याद लाने का प्रयास किया जो बाद कि बहुलता बढाने के लिए व रेस्पोडेंट को अपने हक–हकुको से महरूम रखने के लिए अपील पेश की गई। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1999 Page 389
RRT 2011(1) Page 614
RRD 1999 Page 362
RRT 2017(1) Page 117
RRT 2014(1) Page 154
RRT 2009-10(Supp.) Page 535
RRT 2017(1) Page 711

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 11.11.2019 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 01 वर्ष बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। रेस्पोंडेंटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अपीलांट की अपीलों को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर